विविध बैंक प्रकरण संख्या 70/2020(GCMS : 2020/00196) पंजाब एण्ड सिंध बैंक शखा श्रीगुरूनानक गर्ल्स स्कूल, श्रीगंगानगर बनाम 1. दर्शना मिढा पत्नी श्री घनश्याम दास 2. घनश्याम दास पुत्र ताराचन्द, गली नं. 13, न्यू खेत्रपाल मन्दिर के पास, मकान नं. 23, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर 3. संदीप चाण्डक पुत्र मदन लाल निवासी मकान नं. 203, जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.03.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 15.09.2020 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण दर्शना मिढा, घनश्याम दास एवं संदीप चाण्डक को ऋण सुविधा के रूप में 15.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये पन्द्रह लाख मात्र) का ऋण दिनांक 26.05.2017 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी दर्शना द्वारा अपनी सम्पत्ति मकान नं. 23 (30′ गुणा 55′) गली नं. 13, वार्ड नं. 17, न्यू खेत्रपाल मंदिर के पास, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 30.11.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणियों के नाम दिनांक 30.11.2019 को 16,33,352/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 16.12.2019 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया है **इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी दर्शना **द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास** दृष्टि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:55:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

बंधक रखी गई सम्पत्ति मकान नं. 23 (30' गुणा 55') गली नं. 13, वार्ड नं. 17, न्यू खेत्रपाल मंदिर के पास, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** दर्शना मिढा, घनश्याम दास एवं संदीप चाण्डक को 15.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये पन्द्रह लाख मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 26.05.2017 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी दर्शना **द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पत्ति** मकान नं. 23 (30' गुणा 55') गली नं. 13, वार्ड नं. 17, न्यू खेत्रपाल मंदिर के पास, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **30.11.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी **ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 16.12.2019 को जारी कर पोस्ट ऑफिस** के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 19.12.2019 को भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक की प्रति भी पत्रावली में उपलब्ध है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/ जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:55:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी दर्शना **की दृष्टि बंधक रखी गई सम्पत्ति** मकान नं. 23 (30′ गुणा 55′) गली नं. 13, वार्ड नं. 17, न्यू खेत्रपाल मंदिर के पास, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 16.12.2019 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 16.12.2019 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थीगण दर्शना मिढा, घनश्याम दास एवं संदीप चाण्डक को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 19.12.2019 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति स्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त हो चुका है जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। **प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणियों से आक्षेप/अभ्यावेदन बैंक को प्राप्त हुआ है, जिसका उत्तर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को विवेकपूर्ण तरीके से दिया जा चुका है।** इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी **अप्रार्थी दर्शना** के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:55:19 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब एण्ड सिंध बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 15.09.2020 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है**

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

और अप्रार्थी ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई गई सम्पत्ति मकान नं. 23 (30' गुणा 55') गली नं. 13, वार्ड नं. 17, न्यू खेत्रपाल मंदिर के पास, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर **का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:55:19 IST
Reason: SelfAttested